(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकारी मकान में रह रहे रेल कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते का भुगतान नहीं किया जाता है और उनसे किराया वसूल किया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) मकान किराया भत्ते के भुगतान से संबंधित नियम में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लिखित है कि जिन रेल कर्मचारियों के पास रेलवे के क्वार्टर नहीं है उन सभी रेल कर्मचारियों को वर्गीकृत शहरों अर्थात् श्रेणी 'क', ख–1, ख–2 और 'ग' शहरों के लिये स्वीकृत दरों पर मकान किराया भत्ता देय है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) वर्तमान नियमों, जो रेल कर्मचारियों सहित सभी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू हैं, में उन कर्मचारियों को, जिसके पास केन्द्रीय सरकार/रेलवे के क्वार्टर हैं, मकान किराया भत्ते का भुगतान करने की व्यवस्था नहीं है । मकान किराया भत्ते के भुगतान के लिये सरकारी आवास की व्यवस्था न होना मूल शर्त है । जो कर्मचारी किराया मुक्त क्वाटरों के पात्र नहीं हैं, उन्हें नियमों में निर्धारित दरों के हिसाब से किराये का भुगतान करना होता है ।

"क" तथा "ख" राज्यों को हिन्दी में लिखे गये पत्र

3954. श्री रामावतार शास्त्री : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1982 के पहले छः महीनों के दौरान "क" तथा "ख" राज्यों को कितने पत्र भेजे गये तथा उनमें से कितने हिन्दी तथा कितने अंग्रेजी में भेजे गये ;

(ख) क्या राजभाषा अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत इन राज्यों को सभी मूलपत्र हिन्दी में भेजे जाने का उपबंध है तथा उसका पालन न किया जाना उपबंध का हनन करना है ;

(ग) यदि हां; तो इन राज्यों को मूल पत्र अंग्रेजी में भेजे जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) भविष्य में मूल पत्र हिन्दी में ही भेजे जाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० चुंगन) :

(क)

"क" और "ख" राज्यों को 1982 के पहले छः महीनों में भेजे गये पत्रों की कुल संख्या	हिन्दी में भेजे गये पत्र	अंग्रेजी में भेजे गये पत्र
2385	2381*	4

(*अंग्रेजी में हिन्दी अनुवाद के साथ भेज गये पत्र शामिल हैं)

(ख) राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों के अनुसार "क" और "ख" राज्यों को पत्र हिन्दी में या अंग्रेजी में हिन्दी अनुवाद के साथ भेजे जा सकते हैं।

(ग) 1982 के पहले छः महीनों में "क" और "ख" राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को केवल 4 पत्र अंग्रेजी में जारी किये गये थे। उसका कारण विलम्ब से बचना था। फिर भी अनुदेश जारी कर दिये गये थे कि इस मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम के उपबंधों का सख्ती से पालन किया जाये तथा सभी अधिकारियों/अनुभागों, डैस्कों और एकाकों द्वारा इन अनुदेशों का ध्यानपूर्वक अनुपालन किया जा रहा है।

(घ) "क" और "ख" राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को मूल पत्र हिन्दी में भेजा जाना सुनिश्चित करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:—

(1) इस मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा ('संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिये प्रयोग) नियम, 1976 के उपबंधों का सख्ती से पालन किये जाने के बारे में अनुदेश जारी कर दिये गये हैं।

(2) इस मंत्रालय में केन्द्रीय रजिस्ट्री को आदेश दे दिये गये हैं कि "क" और "ख" राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को कोई पत्र तब तक जारी न किया जाय जब तक कि वह हिन्दी अथवा अंग्रेजी में हिन्दी अनुवाद के साथ न हो।

(3) इस मंत्रालय में हिन्दी अनुवाद इकक को मजबूत कर दिया गया है।

Loss suffered by State Road Transport Corporation

3955. SHRI A. K. ROY: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to the news item published in the Telegraph, datd 31 August, 1982 under the caption 'States told to cut Public Transport Loss";

(b) if so, details of such loss for the last three years with the State-wise break-up;

(c) whether any concrete suggestions have been given now to minimise such losses; and

(d) if so, details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI SITA RAM KESARI): (a) Yes, Sir.

(b) The details of losses for the three years are given in the attached statement.

(c) and (d) In the Transport Minister's meeting held on 31-5-82, a review of performance of the State Road Transport Undertakings was made and the Transport Ministers of States stated that adequate steps were being taken to improve the performance of State Transport Undertakings.

In the National Development Council Meeting in March, 1982, the Chief Ministers agreed to set up High Level Committees in their respective States to review the working of R.T.Cs and take effective measures for their improvement. From the information available, a large number of States/Union Territories have set such High Level Committees. Central Government have initiated the process of monitoring through quarterly performance review meetings.